न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
77/दावा/2021	07.09.2021	22.10.2021

1. सोहन आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
2. मोहन आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
3. सुरजमल आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
4. चन्द्रप्रकाश आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

–वादीगण

बनाम

1. कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द आ0 रामशंकर गोद पुत्र सदाशंकर जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
2. भंवर लाल आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
3. जगदीश आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
4. भंवरी बाई पत्नी सत्यप्रकाश पुत्री कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा हाल निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
5. राज. राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् –अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1– श्री नन्दसिंह सौलंकी अधिवक्ता वादीगण

2– प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 अधिवक्ता श्री अनिल खिडिया

– निर्णय :–

1. वादीगण की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 07.09.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया था।
2. वाद पत्र के संक्षिप्तः तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि खाता सं0 नया 28 पुरानी 19 ख0सं0 140 रकबा 0.0971 हे0, ख0सं0 141 रकबा 0.0890 हे0, ख0सं0 261 रकबा 0.2509 हे0, ख0सं0 536 रकबा 1.7240 हे0, ख0सं0 663 रकबा 2.0882 हे0, ख0सं0 68 रकबा 0.2833 हे0, ख0सं0 72 रकबा 0.1862 हे0 ख0सं0 822/157 रकबा 0.2185 हे0 कुल किता–8 रकबा 4.9372 हे0, जो वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

   इसी प्रकार वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि खाता सं0 नया 29 पुरानी 130 ख0सं0 650 रकबा 2.2177 हे0, ख0सं0 951/717 रकबा 0.8660 हे0 कुल किता–2 रकबा 3.0837 हे0 वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है।

   इसी प्रकार वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि खाता सं0 नया 27 पुरानी 23 ख0सं0 254 रकबा 1.3112 हे0, ख0सं0 534 रकबा 0.6232 हे0, ख0सं0 916/661 रकबा 0.7203 हे0, ख0सं0 948/717 रकबा 2.3715

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

कुल किता–4 रकबा 5.0262 हे0 जो वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा0 3 वादीगण के सगे भाई है। प्रतिवादी सं0 4 वादीगण की सगी बहिन है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 की सहमति से दिनांक 30.05.2009 को वाद वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक भूमि का बंटवारा कर दिया था, जिसमें वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि वादपत्र की चरण सं0 1 लगा0 3 में वर्णित है, वादीगण के हिस्से में आयी थी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को अन्य भूमियॉं खातेदारी में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी सं0 4 को प्रतिवादी सं01 ने नकद रूपया पैसा अदा कर दिया था। प्रतिवादी सं0 4 ने वाद वर्णित भूमि पर अपना हक वादीगण के पक्ष में त्याग दिया था। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि पर मात्र वादीगण का ही हक व अधिकार है। इस संदर्भ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पारिवारिक समझौता भी लिखा गया था, जो कि आज दिन तक निरस्त नही किया गया है। उक्त समझौता पत्र आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के ऊपर प्रभावकारी है। वादीगण सन् 2009 से वाद वर्णित भूमि पर 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। वर्तमान जमाबन्दी में वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 वाद वर्णित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करने पर आमादा हो रहा है तथा पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 30.05.2009 को भी मानने से इन्कार कर दिया है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण को वाद वर्णित कृषि भूमि पर पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 30.05.2009 के अनुसार 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

3. वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया दिनांक 23.09.2021 को वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया, जिसमें पूर्व के पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 30.05.2009 को स्वीकार किया गया तथा वाद वर्णित कृषि भूमि में ख0सं0 68 रकबा 0.2833 हे0 वाके ग्राम डगलावदा, प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रखी गई तथाा शेष वाद वर्णित भूमि में वादीगण को 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने में सहमति प्रकट की गई।

हमने उभय पक्षकारान का राजीनामा पेश होने पर पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, **यहॉं पर न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारनीय प्रश्न यह है कि आया कि राजीनामा से खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण किये जा सकते है ?** इस संबंध में अधिवक्ता वादीगण के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त R.B.J (S) 1998 P.N-615 राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह पेश किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि एक खातेदार अपने खातेदारी अधिकार समझौता डिक्री के माध्यम से हस्तान्तरण कर सकता है। हमने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है – Rajasthan Tenancy Act. 1955 - section 88 - khatedar tenant can transfer his khatedari rights on the basis of compromise .

उपरोक्त न्यायिक नजीर में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार न्यायालय वादी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि राजीनामा के मार्फत खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण किया जा सकता है।

यहॉं पर न्यायालय के समक्ष दुसरा विचारनीय प्रश्न यह है कि आया कि अनरजिस्टर्ड बंटवारा प्रस्ताव पत्र मान्य है या नही ?

उक्त प्रश्न के संबंध में अधिवक्ता वादीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 30.05.2009 में वाद वर्णित भूमि के संबंध में बंटवारा अभिलेख लिखा गया था। जिसके माध्यम से वादीगण को वाद वर्णित भूमि में 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ था। उक्त बंटवारा अभिलेख विधिमान्य है। अपने तर्क के समर्थन में वादी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टता A.I.R 1995 SC 1728 दिगम्बर आधार पाटिल बनाम देवराम गिरधर पाटिल एवं A.I.R 1966 SC 292 पेश किया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दु विधि के अन्तर्गत विभाजन को प्रभावी करने के लिए यह आवश्यक नही है कि विभाजन का रजिस्ट्रीकृत बंटवारा विल्लेख हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मौखिक पारिवारिक व्यवस्था मान्य है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

रूप से भी बंटवारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद वर्णित भूमि को दिनांक 30.05.2009 को किये गये समझौता की विधिमान्य होने की घोषणा की जाती है।

यहाँ पर न्यायालय के समक्ष तीसरा विचारनीय प्रश्न यह है कि आया कि समझौता से प्राप्त डिक्री का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है या नही ?

उक्त प्रश्न के संबंध में अधिवक्ता वादीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि पारिवारिक समझौता से प्राप्त डिक्री का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नही है। अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2020 D.N.J SC 150 मोहम्मद युसूफ बनाम राजकुमार पेश किया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया उक्त न्यायिक नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Under Clause (iv) of sec 17(2) of the Registration Act. Registration of Compromise decree is not necessary इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में उक्त समझौता डिक्री का रजिस्ट्रेशन की आवश्यक नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण पश्चात एवं निष्कर्षो से हमारे सामने यह स्थिती आती है कि वादीगण वाद वर्णित **कृषि भूमि पर ख0सं0 68 रकबा 0.2833 हे0** वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी को छोड़कर सम्पूर्ण वाद **वर्णित भूमि** पर 1/4-1/4-1/4-1/4 हिस्सा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कराने के अधिकारी पाये जाते है।

–::आदेश::–

परिणामस्वरूप वादीगण का यह वाद स्वीकृत किया जाकर वाद वर्णित भूमि कृषि भूमि खाता सं0 नया 28 पुरानी 19 ख0सं0 140 रकबा 0.0971 हे0, ख0स0 141 रकबा 0.0890 हे0, ख0सं0 261 रकबा 0.2509 हे0, ख0सं0 536 रकबा 1.7240 हे0, ख0सं0 663 रकबा 2.0882 हे0, ख0सं0 72 रकबा 0.1862 हे0 ख0सं0 822/157 रकबा 0.2185 हे0 कुल किता–7 रकबा 4.6539 हे0 जो वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है का वादीगण को क्रमशः 1/4-1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है, उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करें।

इसी प्रकार वादीगण को कृषि भूमि खाता सं0 नया 29 पुरानी 130 ख0सं0 650 रकबा 2.2177 हे0, ख0सं0 951/717 रकबा 0.8660 हे0 कुल किता–2 रकबा 3.0837 हे0 वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है, का वादीगण को क्रमशः 1/4-1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है, उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करें।

इसी प्रकार वादीगण को कृषि भूमि खाता सं0 नया 27 पुरानी 23 ख0सं0 254 रकबा 1.3112 हे0, ख0सं0 534 रकबा 0.6232 हे0, ख0सं0 916/661 रकबा 0.7203 हे0, ख0सं0 948/717 रकबा 2.3715 हे0 कुल किता–4 रकबा 5.0262 हे0 जो वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है का वादीगण को क्रमशः 1/4-1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है, उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करें।

एवं कृषि भूमि ख0सं0 68 रकबा 0.2833 हे0 वाके डगलावदा प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत रहेगी। खर्चा पक्षकार अपना– अपना वहन करे। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी

उप खण्ड मजिस्ट्रेट तालेड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी।
इजलास कमल कुमार मीना, आर0ए0एस0

1. सोहन आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
2. मोहन आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
3. सुरजमल आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
4. चन्द्रप्रकाश आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

–वादीगण

बनाम

1. कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द आ0 रामशंकर गोद पुत्र सदाशंकर जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
2. भंवर लाल आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
3. जगदीश आ0 कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
4. भंवरी बाई पत्नी सत्यप्रकाश पुत्री कृष्णानन्द उर्फ किशनानन्द जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा हाल निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
5. राज. राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् –अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

77/दावा /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्दसिंह सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री अनिल खिडिया ऐडवोकेट मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि कृषि भूमि खाता सं0 नया 28 पुरानी 19 ख0सं0 140 रकबा 0.0971 हे0, ख0स0 141 रकबा 0.0890 हे0, ख0सं0 261 रकबा 0.2509 हे0, ख0सं0 536 रकबा 1.7240 हे0, ख0सं0 663 रकबा 2.0882 हे0, ख0सं0 72 रकबा 0.1862 हे0 ख0सं0 822/157 रकबा 0.2185 हे0 कुल किता–7 रकबा 4.6539 हे0 जो वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है का वादीगण को क्रमशः 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है, उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करें।

इसी प्रकार वादीगण को कृषि भूमि खाता सं0 नया 29 पुरानी 130 ख0सं0 650 रकबा 2.2177 हे0, ख0सं0 951/717 रकबा 0.8660 हे0 कुल किता–2 रकबा 3.0837 हे0 वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है, का वादीगण को क्रमशः 1/4–1/4–1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है, उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

इसी प्रकार वादीगण को कृषि भूमि खाता सं0 नया 27 पुरानी 23 ख0सं0 254 रकबा 1.3112 हे0, ख0सं0 534 रकबा 0.6232 हे0, ख0सं0 916/661 रकबा 0.7203 हे0, ख0सं0 948/717 रकबा 2.3715 हे0 कुल किता–4 रकबा 5.0262 हे0 जो वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। का वादीगण को क्रमशः -1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है, उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करें।

एवं कृषि भूमि ख0सं0 68 रकबा 0.2833 हे0 वाके डगलावदा प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन बदस्तूर रहेगा।

नीज.................... मुबलिक.......................... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 22 माह 10 वर्ष 2021 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner